

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला - झालावाड़ (राज.)


रैखा वार्ड बनाम गंडा वार्ड

किस्म मुकदमा 09 R9 CPC नं. 29 सन 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
10/02/25	<p>प्रकरण पर पेश हुआ। ग्राम प्राधिकार उपलब्ध ग्राम प्रां. फन. u/s 212 RT Act (एन 4196/2017) को तलब किया गया। ग्राम प्राधिकार द्वारा कथन किया कि ग्राम प्रकल्प ए 4196/2017 कोशल्यावाड़ वार्ड बनाम गंडा में डिनंक 28/11/25 को तारीख पेशी नियत थी। प्रकल्प में प्रची 1/2 व 1/4 द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रां. फन. को वापिस लेने (withdraw) करने का निवेदन किया था जो न्यायालय द्वारा तुरंत प्रची 1/3 को पुनः बिना ही इसके हद तक भी प्रकरण को withdraw करने की अनुमति दे दी जो कि अनुकूल नहीं होने से set-aside किए जाने चाहिए हैं।</p> <p>ग्राम प्रां. फन. u/s 212 RT की प्रादेशिक डिनंक 27/01/25 एवं पत्रावली के सबलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण केवल प्रची 1/2 व 1/4 के हद तक ही withdraw अनुमत किया जाना था लेकिन तुरंत वीनी प्रचीणो 1/3 से 1/3 के हद तक withdraw कर दिया गया जो which is a mistake apparent from the record होने से अनुचित है।</p>	



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नया प्रमाण अहकाम हुकम की जा में जारी</p>
	<p>को लगान/नोटिस जारी कर हुना जाना शामिल रही है। आ: उपरोक्त विवेकन के माध्यम पर प्राप्त का प्रमाण 09 R9 CPC एकीकरण दिया जाता है और इस माध्यम के माध्यम से-नक 21/01/25 को केवल (only) प्राप्ति - रखा गई के है कि set-aside किया जाता है। प्रमाण प्राप्ति के तब re-store किया जाकर है-नक 25/02/25 को गूगल के साथ पैरा है</p>	



*[Handwritten Signature]*  
10/02/25

उपरोक्त अधिकारी निहाल  
जिला डालावाड़